



गुरुकुल धासीद्वास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के अधिसूचना क्रमांक १६ सन् १९८३ द्वारा स्थापित)

क्रमांक १४०।

तथा/प्रश्ना/२००७

बिलासपुर, दिनांक : २५/०७/०७

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा ४९ के प्रावधानानुसार गठित घटन घनिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २१.०७.२००७ के विषय क्रमांक-०३-ए के विर्णवानुसार श्री ठाकुर राम राम्रे की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के व्याख्याता (अजा) ले पद पर वेतनमान रूपये ८०००-१३५००/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत च्वेद परिवेषक के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ये की जाएगी है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ सन्दर्भ-सन्दर्भ पर विश्वविद्यालय द्वारा रखीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की अनावश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें, धालचलन संबंधी जांच उपर्युक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही, वैध ढोली।

आदेश जारी होने के दिनांक से १५ दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिवेषक ३। एवं अध्यादेश-४ के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें काव्य हैं। उपर्युक्त शर्तों में किरी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन, एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य कोई शर्त साव्य नहीं होंगी। इस नियुक्ति में आरक्षण रोक्टर का पालन किया जाय है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसंघीय
विलासपुर, दिनांक : २५/०७/०७

पृ० क्रमांक १४०२ /तथा/प्रश्ना/२००७

प्रतिलिपि :-

०१. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की आर-सूचनार्थ अध्येति।
०२. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/विज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
०३. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
०४. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
०५. आयुल्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पैशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिषर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
०६. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु धासीद्वास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ।
०७. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, संघीय संपरीक्षा, गुरु धासीद्वास विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
०८. श्री ठाकुर राम राम्रे, जी-२६/७०, छोटी सिंहल लाईन, कसारीडीह, दूर्ग को इस जिल्हेश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से १५ दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही रखारथ्य परीक्षण, आयु, जाति, पाक्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, पत्रों के अनुयंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण तिथि से ०७ दिवस के अन्दर सेवा अनुयंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राधिकृत के अधिकारी से कराये जाने पर यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत तथ्यों पर आधारित है, उक्त रिति में गियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
०९. विजी वर्ती।

Self Attested

उप-कुलसचिव (प्रश्ना/तथा.)

5